Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 83-2023/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 8 मई, 2023
(18 वैशाख, 1945 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु पृष्ठ

भाग–I **अधिनियम**

कुछ नहीं

भाग–II **अध्यादेश**

कुछ नहीं

भाग–III **प्रत्यायोजित विधान**

1. अधिसूचना संख्या का०आ० 18/ह०अ० 11/1994/धा० 209/2023, दिनांक 8 मई, 2023– हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम, 2023. 111–112
2. अधिसूचना संख्या का०आ० 19/ह०अ० 20/2018/धा० 4/2023, दिनांक 8 मई, 2023– महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के निर्धारण बारे। 113–114

भाग–IV **शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**

कुछ नहीं

भाग–III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 मई, 2023

संख्या का०आ० 18/ह०अ० 11/1994/धा० 209/2023.– हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म नियम, 1996 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 209 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, तथा उक्त धारा की उप–धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित,ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम, 2023, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म नियम, 1996 के नियम 70 में,

(i) अंत में विद्यमान चिह्न "।" के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, तथा

(ii) अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु मानदेय की राशि, सरपंच के मामले में पांच हजार रूपये प्रति मास और पंच के मामले में एक हजार छह सौ रूपये प्रति मास की दर से अथवा उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये मानदेय जमा राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की दर से मंहगाई भत्ता, जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जायेगा।"।

अनिल मलिक,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 8th May, 2023

No. S.O. 18/H.A. 11/1994/S. 209/2023.— The following draft of rules further to amend the Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Works Rules, 1996, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the following draft of rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Development and Panchayats Department, Chandigarh, from any person with respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Works (Amendment) Rules, 2023.

2. In the Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Works Rules, 1996, in rule 70,—

(i) for the sign " . " existing at the end, the sign " : " shall be substituted; and

(ii) the following proviso shall be added, namely :-

"Provided that honorarium at the rate of five thousand rupees per month in case of Sarpanch and one thousand six hundred rupees per month in case of Panch or the honorarium indicated in the above table plus dearness allowance at the rate of dearness allowance payable to the employees of the State Government, whichever is higher, shall be paid.".

ANIL MALIK,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.

10361—L.R.—H.G.P., Pkl.